कार्यालय जिलाधिकारी,सुलतानपुर।

संख्या : 1844 / जि0आ0अधि0 / सुलतानपुर / व्यवस्थापन 2018–19 / दिनांक 17.03.2018

विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या–46107–181 दिनांक 17.03.2018 के अनुक्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में जनपद सुलतानपुर हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–1789 दिनॉक 01.03.2018 में आबकारी दुकानों के वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निम्नवत आंशिक संशोधन किया जाता है :–

क0सं0	प्रथम चरण	तिथि
1	ई–लाटरी की तिथि / समय **स्थल :– पं0 रामनरेश त्रिपाठी सभागार, सुलतानपुर**	19.03.2018 को अपरान्ह 02.30 बजे से
	द्वितीय चरण (समस्त जनपदों में)	
2	उपरोक्तानुसार प्रथम चरण की ई–लाटरी के पश्चात अवशेष देशी शराब / विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा / निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन ई–लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के प्रकरण में प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स के सम्बन्ध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगने एवं ई–लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनॉक 21.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर दिनॉक 23.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक और ई–लाटरी दिनॉक 26.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे होने का उल्लेख करते हुए विज्ञप्ति का समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा विभागीय व जनपद की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन।	21.03.2018
3	द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनॉक 23.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक
4	आवेदनों का परीक्षण	24.03.2018 से 25.03.2018 तक
5	ई–लॉटरी की तिथि / समय	26.03.2018 को प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक आवेदन फार्म की प्रिन्टेड प्रति प्रस्तुत कर **पं0 रामनरेश त्रिपाठी सभागार, सुलतानपुर** में ई–लाटरी प्रक्रिया मे सम्मिलित हो सकेगे।

2– जनपद सुलतानपुर हेतु भॉग की फुटकर बिक्री की समस्त 65 दुकानों के लिये टेण्डर सह नीलामी प्रणाली द्वारा दिनांक 19.03.2018 नियत थी, को संशोधित करते हुये आबकारी आयुक्त के उपरोक्त पत्र के अनुसार भॉग की फुटकर दुकानों की नीलामी दिनांक 21.03.2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार सुलतानपुर मे किया जायेगा।

(सुधीर कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
सुलतानपुर।

(संगीता सिंह)
लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी
सुलतानपुर।

प्रकाशन हेतु नहीं हैः–

संख्या : 1845–1849 / तद्दिनॉक

प्रतिलिपि :– विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक जागरण व दैनिक आज जनपद–सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण दिनॉक 18.03.2018 के अंक में न्यूनतम स्पेस पर प्रकाशित कर बिल जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर से सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

3– जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।

4– समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र, सुलतानपुर।

(सुधीर कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
सुलतानपुर।